2. मेघालय के सम्बन्ध में पारेषण एवं वितरण हानियों सम्बन्धी कम आंकड़े, पड़ौसी राज्यों को काफी अधिक मात्रा में ऊर्जा की सप्लाई किए जाने के कारण हैं।

3. 14 अगस्त, 1991 की स्थिति के अनुसार।

स्रोत : 1. पी डी बी एण्ड आई निदेशालय।

2. *राज्य बिजली बोर्ड/बिजली विभाग।

3. *योजना आयोग में संसाधनों से सम्बन्धित विचार-विमर्श।

4. **1991–92 के लिए वार्षिक योजना विचार-विमर्श।

हरिजनों पर अत्याचार की बढ़ती हुई घटनाएं

*276. **श्री रणजीत सिंह :**
श्री मुरलीधर चन्द्रकान्त भंडारे :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले कुछ महीनों में हुए राज्यों के मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को सामाजिक शोषण से बचाने के लिए मुद्दे पर चर्चा की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में वर्तमान में किये जा रहे प्रयासों को सशक्त बनाने के लिए कौन-कौन से अन्य उपाय करने का निर्णय किया गया था ; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार इस प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कोई कार्य योजना तैयार करने का विचार रखती है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (ग) नई दिल्ली में 4–5 अक्तूबर, 1991 को संपन्न मुख्यमंत्रियों की बैठक में लिए गए निर्णय, विवरण के रूप में सभा पटल पर रख दिए गए हैं । (नीचे देखिए) ये निर्णय सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को कार्रवाई हेतु संप्रेषित कर दिए गए हैं ।

विवरण

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचारों की रोकथाम के बारे में विचार विमर्श करने के लिए 4–5 अक्तूबर, 1991 को नई दिल्ली में आयोजित मुख्य-मंत्रियों का सम्मेलन

सामान्य निर्णय

1. सम्मेलन इससे सहमत था कि यह एक राष्ट्रीय प्रश्न है तथा राजनीतिक विचारधारा से परे है । इसलिए इस पर राष्ट्रीय आम सहमति के आधार पर विचार करने की आवश्यकता है ।

2. यह सुझाव दिया गया था कि कारगर तथा समय पर कार्रवाई करने के उद्देश्य से राज्य के मुख्यमंत्रियों को स्वयं इस मामले में निकट से सीधा तथा सतत संपर्क बनाए रखना चाहिए ।

3. महत्वपूर्ण पदों पर अधिकारियों की तैनाती करते समय, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों पर समुचित ध्यान दिया जाना चाहिए ।

4. अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित जिन पदों पर निर्धारित कोटा के अनुसार नियुक्ति नहीं की गई है उन्हें यथाशीघ्र अधिक से अधिक 31 मार्च, 1992 तक, भर लिया जाना चाहिए ।

5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए बनाए जा रहे मकान अपर्याप्त हैं । अधिक परिव्यय से उनका विस्तार किया जाना चाहिए । अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु आवास की स्थिति में सुधार करने की आवश्यकता है ।

6. राज्य सरकारें उन क्षेत्रों की पहचान करेंगी जहां अत्याचारों की घटनाएं अधिक पाई गई हैं और जो अधिक तनाव वाले हैं । इनमें अत्याचारों से निपटने के लिए निम्नानुसार विशेष व्यवस्थाएं तथा प्रशासनिक उपाय करने होंगे ।

7. चूंकि तनाव के मुख्य कारणों में से भूमि एक कारण हैं, अतः भूमि सीमा कानूनों के अन्तर्गत फालतू भूमि के वितरण कार्य 31 मार्च, 1992 तक पूरा कर लिया जाना चाहिए ।

8. सम्मेलन में नोट किया गया कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट/स्थापित कर दिए गए हैं । भारत सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विशेष न्यायालय स्थापित करने/विनिर्दिष्ट करने के बारे में इस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन हो ।

9. सम्मेलन द्वारा नियुक्त उप समिति द्वारा की गई निम्नलिखित सिफारिशों को उपयुक्त कार्रवाई के लिए स्वीकार किया गया है :—

(1) प्रथम दृष्टया में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के उपबंध पर्याप्त थे क्योंकि धारा 4 में किसी लोक-सेवक द्वारा अपने कर्तव्यों की जानबूझकर अवहेलना करने के लिए कारावास का प्रावधान है जिसकी अवधि कम से कम 6 महीने होगी । यह अधिनियम 1990 में ही लागू किया गया था तथा इसके कार्यान्वयन से प्राप्त अनुभव को ध्यान में रखकर कुछ समय बाद इसमें संशोधन करने के बारे में विचार किया जा सकता है ।

(2) जहां कहीं आवश्यक समझा जा अनुसूचित जनजातियों से संबंधित कार्य एक अलग प्रशासकीय तंत्र को सौंपा जाए ।

(3) संवेदनशील जिलों में जहां पर अनुसूचित जातियों/जनजातियों के विरुद्ध बड़े पैमाने पर अत्याचारों का पूर्व इतिहास हो, अपर जिला मजिस्ट्रेट के विद्यमान पद को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से संबंधित मामलों का अनन्य रूप से प्रभारी पद नामित किया जाए । समुचित मामलों में अपर जिला मजिस्ट्रेट के एक पूर्णकालिक पद का भी सृजन किया जा सकता है । वह अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति कल्याण संबंधी योजनाओं तथा कार्यक्रमों पर नजर रखने तथा समाज के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा हेतु कार्रवाई करने के लिए उत्तरदायी होगा । अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विरुद्ध अपराधों तथा अत्याचारों की जांच जैसी अनुवर्ती कार्रवाई के कार्य में अतिरिक्त पुलिस उप अधीक्षक के नेतृत्व में उचित स्तर के अधिकारियों द्वारा उसकी सहायता की जाए ।

(4) जब कभी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विरुद्ध अत्याचारों की कोई घटना हो, स्थानीय अधिकारियों को घटना स्थल पर शीघ्र दौरा करने और शीघ्र कानूनी प्रक्रिया शुरु करने के लिए जिम्मेदार बनाया जाए । गंभीर अत्याचारों के मामलों में पुलिस उपाधीक्षक जैसे वरिष्ठ अधिकारियों को भी घटना के 24 घण्टे से लेकर 48 घंटे के भीतर स्वयं दौरा करना चाहिए

(5) मामलों की जांच में और अधिक निष्पक्षता तथा उन पर अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए, जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में पुलिस अधीक्षक, जिला कल्याण अधिकारी और अन्य संबंधित जिला अधिकारियों तथा जनता के पांच व्यक्तियों को सदस्य के रूप में लेते हुए एक सतर्कता तथा मॉनीटरिंग समिति की नियुक्ति की जानी चाहिए । इनमें अधिकांश लोग अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के होने चाहिए । अपर जिला

मजिस्ट्रेट (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति) जहां कहीं निर्दिष्ट अथवा नियुक्त है, को समिति का सदस्य सचिव बनाया जाना चाहिए । समिति यह-देखने के लिए जिम्मेदार होगी कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अत्याचारों के मामलों की जोरदार ढंग से पैरवी हो तथा उन्हें न्यायालय के समक्ष लाया जाए ।

(6) अनुसूचित जातियों/जनजातियों विरुद्ध अत्याचारों से संबंधित मामलों के शीघ्र जांच सुनिश्चित करने हेतु, विशेषकर संवेदनशील जिलों में, मंडल/जिला स्तर पर विशेष जांच प्रकोष्ठ बनाए जाएं।

(7) सरकार को न्यायालयों में मुकदमों की पैरवी कर्मठता से करनी चाहिए तथा सतीय परीक्षणों की तरह इनके शीघ्र नपटान को सुनिश्चित करने हेतु दैनंदिन आधार पर इनकी सुनवाई के भरसक प्रयास किए जाएं ।

(8) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों पर अनेक अत्याचार भूमि विवादों के पैदा होते हैं । अतः भूमि के मामले के शीघ्र निपटान के तरीकों का अवश्य पता लगाया जाना चाहिए । इसी प्रकार विभिन्न न्यायालयों में लंबित भूमि विवादों से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए अनुवर्ती कार्रवाई की जानी चाहिए ।

(9) अत्याचार के मामलों की जांच का उत्तरदायित्व सामान्य पुलिस तंत्र में निहित होना चाहिए उसका निकट पर्यवेक्षण जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में निगरानी तथा मानीटरिंग समिति द्वारा किया जाना चाहिए ।

(10) समुचित मामलों में अपने कर्तव्यों की जानबूझकर उपेक्षा करने के लिए किसी लोकसेवक के विरुद्ध कार्रवाई की सिफारिश का प्राधिकार उक्त समिति के पास होना चाहिए जैसाकि अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 में निर्धारित किया गया है । ऐसे मामलों में, खास तौर से मामले की जांच का कार्य जिला पुलिस से भिन्न किसी अन्य जांच एजेंसी जैसे सतर्कता ब्यूरो, भ्रष्टाचार निरोधक शाखा, राज्य अपराध जांच विभाग आदि को सौंपा जाए ताकि यह विश्वास पैदा हो सके कि अपराधी को बचाया नहीं जाएगा ।

(11) ऐसे मामलों के अभियोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा अभियोजकों का एक पृथक पैनल नियुक्त किया जाए ।

मध्य प्रदेश में "कुटीर ज्योति योजना" का कार्यान्वयन

*277. **श्री अजीत जोगी**
श्री बेकल "उत्साही" :

क्या **विद्युत और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में अब तक जिलावार, कितने गांवों को विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत लाया गया है और कितने गांव ऐसे हैं जिनका अभी विद्युतीकरण नहीं हुआ है ;

(ख) इन जिलों में किन-किन स्थानों पर "कुटीर ज्योति योजना" को कार्यान्वित कर दिया गया है ;

(ग) इन जिलों के कौन-कौन से गांवों में इस योजना को अभी कार्यान्वित किया जाना शेष है ; और

(घ) शत-प्रतिशत गांवों के विद्युतीकरण के लक्ष्य को कब तक प्राप्त कर लिया जायेगा ?

विद्युत और गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (**श्री कनक मल राय**) : (क) से (घ) 30-10-1991 की स्थिति के अनुसार, मध्य प्रदेश में विद्युतीकरण एवं अविद्युतीकृत गांवों की जिलेवार संख्या दर्शाने वाला विवरण-I संलग्न है (नीचे देखिए) । उपलब्ध सूचना के अनुसार, मध्य प्रदेश में लगभग 84%